न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ईन्दपुर)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/198	07.10.2014	21.06.2018

उनवान

1. किशोरी लाल पुत्र सोहनलाल जाति सैनी,
2. रामसिंह पुत्र श्री सोहनलाल जाति सैनी,
3. किशन पुत्र श्री सोहनलाल जाति सैनी निवासियान ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. हरनामसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह
2. भगवानसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जातियान सिक्ख निवासियान ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....असल प्रतिवादीगण

3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील रामगढ जिला अलवर।

..... तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 999 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 1254 रकबा 0.47 हैक्ट0 वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी का 1/3 हिस्सा वाद में विवादित है। उक्त विवादित आराजी के पूर्व खातेदार प्रतिवादीगण थे, जिन्होने विवादित आराजी को मंगलसिंह पुत्र श्री कक्कासिंह निवासी रसगण राठकी तहसील मुण्डावर जिला अलवर को बाजाब्ता विक्रय कर दिया था, इसके बाद उक्त मंगलसिंह ने इस आराजी को नूर मोहम्मद पुत्र सुगडा जाति सक्का निवासी ईन्दपुर को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.06.1980 को विक्रय कर दिया था और इसके बाद नूर मोहम्मद ने इस आराजी को मिन वादीगण को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1981 को विक्रय कर दिया था और इसी प्रकार से विक्रय पत्र होकर वादीगण को आराजी का कब्जा प्राप्त हो गया। और वादीगण वक्त खरीद से अपनी खरीदशुदा आराजी मुतनाजा पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर काबिज है। उक्त आराजी मुतनाजा का जिस प्रकार से विक्रय हुआ है वह सही प्रकार से एवं विधि सम्मत तरीक पर हुआ है। किन्तु उन विक्रय पत्रों का इन्तकाल दर्ज नही हुआ और कागजातमाल में जो इन्द्राजात होना चाहिए थे वो नही हुए जिस कारण विवादित आराजी अब भी प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम ही दर्ज चली आ रही है जबकि प्रतिवादी सं0 1 व 2 का आराजी मुतनाजा से कोई लेना देना किसी तरह का नही है क्योकि वो आराजी मुतनाजा का विक्रय कर चुके है। इसलिए वादी प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम कागजातमाल में से कलमजन करवाने के एवं वादीगण स्वयं

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने के एवं कागजातमाल में तदानुसार दुरूस्ती करवाकर अमल दरामद कराने के कानूनन अधिकारी है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री बाबत इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज सादिर की जाकर वादीगण को विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1254 रकबा 0.47 हैक्ट0 का 1/3 हिस्सा वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व कागजातमाल में अमल दरामद कराया जावें। तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम कागजातमाल में हो रहे इन्द्राजात को वादीगण के हकूको के खिलाफ बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिया जाकर कलमजन कराया जावें और उसके स्थान पर वादीगण को विवादित आराजी का बहिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार दर्ज कराया जावें। और प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त कुल कार्य काश्तकारी में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा नही करे न वादीगण को जबरन बेदखल करे न विवादित आराजी को बिना कब्जे के गलत इन्द्राजात की आड में किसी दीगर व्यक्ति को जर्ये रहन, बय हिबा आदि के मुन्तकिल मकफूल करें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नही हुए। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई जो इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1254 रकबा 0.47 हैक्ट0 वाके ग्राम ईन्दपुर मुताबिक जमाबन्दी हाल में समीर खां पुत्र मामला 2/3, हरनामसिंह, भगवानसिंह पिता नारायणसिंह सिक्ख हिस्सा 1/3 सा0 देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है मौके पर उक्त आराजी दो भागों में विभाजन पाया गया। उक्त आराजी के मौके पर हरनामसिंह, भगवानसिंह वगैराह गैरखातेदार का कब्जा काश्त नही बताया गया तथा मौजूद ग्रामवासियान द्वारा उक्त आराजी का 1/3 हिस्सा पर किशोरी लाल, रामसिंह, किशनसिंह पिता सोहनलाल सैनी का कब्जा काश्त है तथा मौके पर उक्त आराजी खाली जोत पडी हुई है। मौके पर मौजूद ग्रामवासियान द्वारा अवगत कराया कि गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड ग्राम ईन्दपुर में नही रहते है तथा ग्रामवासियान द्वारा उक्त आराजी के मौके पर कोई कब्जा सम्बन्धी विवाद नही बताया गया तथा हरनामसिंह भगवानसिंह पिता नारायण सिंह एवं अलोटी के वारिसान का ग्राम ईन्दपुर में आना जाना नही है। मौजूद ग्रामवासियान जागरसिह पुत्र चावसिंह रायसिख, नरेन्द्रसिंह पिता जागरसिंह, अमरसिंह पिता चावसिंह, दलीपसिंह जनकसिंह, गिर्राज पुत्र भूरजी माली, रामसिंह पुत्र सोनपाल माली, भौरेलाल पुत्र अजमेरी माली के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान कराये गये।

वादीगण ने दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत 2067–70, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058, बयनामा दिनांक 06.06.1980 की छायाप्रति, बयनामा दिनांक 24.07.1981 की छायाप्रति पेश की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ईन्दपुर में दिनांक 21.06.2018 को पेश हुई। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ईन्दपुर में दिनांक 21.06.2018 को अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 999 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 1254 रकबा 0.47 हैक्ट0 वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी का 1/3 हिस्सा के पूर्व खातेदार प्रतिवादीगण थे, जिन्होने विवादित आराजी को मंगलसिंह पुत्र श्री कक्कासिंह निवासी रसगण राठकी तहसील मुण्डावर जिला अलवर को

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

बाजाब्ता विक्रय कर दिया था, इसके बाद मंगलसिंह ने इस आराजी को नूर मोहम्मद पुत्र सुगडा जाति सक्का निवासी ईन्दपुर को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.06.1980 को विक्रय कर दिया था और इसके बाद नूर मोहम्मद ने इस आराजी को वादीगण को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1981 को विक्रय कर दिया था और इसी प्रकार से विक्रय पत्र होकर वादीगण को आराजी का कब्जा प्राप्त हो गया। और वादीगण वक्त खरीद से अपनी खरीदशुदा आराजी मुतनाजा पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर काबिज है। पटवारी हल्का रिपोर्ट के मुताबिक उक्त आराजी मुतनाजा का 1/3 हिस्सा पर किशोरी लाल, रामसिंह, किशनसिंह पिता सोहनलाल सैनी का कब्जा काश्त है तथा मौके पर उक्त आराजी खाली जोत पडी हुई है। मौके पर मौजूद ग्रामवासियान द्वारा अवगत कराया कि गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड ग्राम ईन्दपुर में नही रहते है तथा ग्रामवासियान द्वारा उक्त आराजी के मौके पर कोई कब्जा सम्बन्धी विवाद नही बताया गया । क्योकि वादीगण ने भूमि क्रय की है। जो विधि सम्मत है। किन्तु उन विक्रय पत्रों का इन्तकाल दर्ज नही हुआ। जिस कारण विवादित आराजी अब भी प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम ही दर्ज चली आ रही है जबकि प्रतिवादी सं0 1 व 2 का आराजी मुतनाजा से कोई लेना देना किसी तरह का नही है क्योकि वो आराजी मुतनाजा का विक्रय कर चुके है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम कागजातमाल में से कलमजन करवाने के एवं वादीगण स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने कानूनन अधिकारी है।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1254 रकबा 0.47 हैक्ट0 का 1/3 हिस्सा वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर के कागजातमाल में से प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को विवादित आराजी का बहिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। प्रतिवादीगण को इस कदर पाबन्द किया जाता है कि गलत इन्द्राज की आड में विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त कुल कार्य काश्तकारी में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा नही करे न वादीगण को जबरन बेदखल करे न विवादित आराजी को बिना कब्जे के गलत इन्द्राजात की आड में किसी दीगर व्यक्ति को जर्ये रहन, बय हिबा आदि के मुन्तकिल मकफूल करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.06.2018 को ग्राम पंचायत ईन्दपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ईन्दपुर)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/198	07.10.2014	21.06.2018

उनवान

1. किशोरी लाल पुत्र सोहनलाल जाति सैनी,
2. रामसिंह पुत्र श्री सोहनलाल जाति सैनी,
3. किशन पुत्र श्री सोहनलाल जाति सैनी निवासियान ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. हरनामसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह
2. भगवानसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जातियान सिक्ख निवासियान ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....असल प्रतिवादीगण

3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बहैसियत लैण्ड होल्डर तह0 रामगढ (अलवर)।

..... तकमीली प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1254 रकबा 0.47 हैक्ट0 का 1/3 हिस्सा वाके ग्राम ईन्दपुर तहसील रामगढ जिला अलवर के कागजातमाल में से प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को विवादित आराजी का बहिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। प्रतिवादीगण को इस कदर पाबन्द किया जाता है कि गलत इन्द्राज की आड में विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त कुल कार्य काश्तकारी में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा नही करे न वादीगण को जबरन बेदखल करे न विवादित आराजी को बिना कब्जे के गलत इन्द्राजात की आड में किसी दीगर व्यक्ति को जर्ये रहन, बय हिबा आदि के मुन्तकिल मकफूल करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)